

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:-प.25(1)गृह-1/2014

जयपुर दिनांक:-16.03.2018

आदेश

पूर्व मे जारी कार्य विभाजन आदेशों के अतिक्रमण में गृह (ग्रुप-1) विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य विभाजन आवंटन निम्नानुसार तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	नवीन कार्य आवंटन
1.	श्री श्याम सुन्दर चौहान (सहायक शासन सचिव)	अनुभाग का समस्त प्रबंधन कार्य एवं क्रम सं. 4 से 10 पर वर्णित कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का परीक्षणोपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करेंगे।
2.	श्री चिरंजी लाल राठौड अनुभागाधिकारी, पुलिस	क्रम संख्या 4, 6 व 7 पर वर्णित कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का परीक्षणोपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करेंगे।
3.	श्री रामचरण बलाई अनुभागाधिकारी, आर	क्रम सं. 5, 8 से 9 पर वर्णित कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का परीक्षणोपरान्त पत्रावली प्रस्तुत करेंगे।
4.	श्री भगवान सहाय (सहायक अनुभागाधिकारी)  श्री आवडदान (लिपिक ग्रेड-II)	1. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला/दूरसंचार के अधिकारियों/कार्मिकों का संस्थापन सम्बन्धी कार्य, विभागीय जाँच एवं समस्त व्यक्तिगत प्रकरण 2. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला/दूरसंचार में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के न्यायिक समस्त प्रकरण 3. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला/दूरसंचार में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायत सम्बन्धी प्रकरण। 4. सहायक पुलिस निरीक्षक, उप पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक के संस्थापन सम्बन्धी समस्त प्रकरण 5. पुलिस एक्ट/प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 6. पुलिस सुधार सम्बन्धी कार्य। 7. अनिवार्य सेवा निवृत्ति प्रकरण 8. पेंशन नियम 7 के अन्तर्गत समस्त प्रकरण।
5.	श्री विश्वास जैन (सहायक अनुभागाधिकारी)  श्री दयानन्द (कानि0)	1. अति0 पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों के शौर्य/विशिष्ट/सराहनीय सेवाओं के लिए मेडल सम्बन्धी समस्त कार्य। 2. आर0टी0आई0 सम्बन्धी कार्य 3. आई0पी0एस/आर0पी0एस व अन्य पुलिस सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य। 4. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अभियोजन स्वीकृति व निलम्बन से बहाली के प्रकरण। 5. पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के विशेष पदोन्नति से सम्बन्धित समस्त कार्य। 6. राजस्थान पुलिस सेवा नियम, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा/दूरसंचार/राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सेवा नियमों एवं अन्य नियमों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
6	श्री विरेन्द्र सिंह झाला (लिपिक ग्रेड-I)  श्री कालीचरण (लिपिक ग्रेड-II)  श्री जीवाराम (लिपिक ग्रेड-II)	1. भारतीय पुलिस सेवा/राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारियों की वरिष्ठता, सामान्य/विशेष पदोन्नति, सीधी भर्ती, स्थाईकरण, विभागीय जाँच एवं समस्त व्यक्तिगत प्रकरण एवं स्थानान्तरण सहित। 2. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में इन्सेटिव स्कीम के अन्तर्गत चयन। 3. राजस्थान पुलिस अधिकारियों को न्यायिक एवं शिकायत सम्बन्धी प्रकरण। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण/पदस्थापन। 5. पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों के विशेष पदोन्नति से सम्बन्धित समस्त कार्य।

7.	श्रीमती अंजु चौधरी (लिपिक ग्रेड-I)	1.पुलिस विभाग के मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति सम्बन्धी समस्त कार्य। 2.पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के यू0एन0मिशन/अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी कार्य। 3.पुलिस विभाग में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों (पुलिस एवं मंत्रालयिक सेवा) के स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्य। 4.गृह (ग्रुप-1) अनुभाग का संस्थापन सम्बन्धी कार्य।
8.	श्री गोपाल मीना (लिपिक ग्रेड-I) श्री संजय चौधरी (कानि0)	1. कानि0/हैड कानि0 एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों का संस्थापन सम्बन्धी कार्य (स्थानान्तरण एवं विशेष पदोन्नति कार्य के अलावा) 2. सैन्य सेवा/अर्द्ध सैन्य बलों से प्राप्त चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन सम्बन्धी कार्य। 3. लोकायुक्त प्रकरण 4. पुलिस भर्ती सेवा में तथ्य छुपाने वाले समस्त प्रकरण 5. माननीय न्यायालयों के निर्णयों की पालना में स्वीकृती/विशेष पेंशन के समस्त प्रकरण
9.	सुश्री मीना कुमारी (लिपिक ग्रेड-II) श्री लाला राम (कानि0)	1. अराजपत्रित कार्मिकों के समस्त शिकायत सम्बन्धी कार्य (पुलिस व मंत्रालयिक एवं एसीबी) 2. सुगम सॉफ्टवेयर पर प्राप्त शिकायतों को अद्यतन/निस्तारण करने सम्बन्धी कार्य। 3. सी.आई.एम.एस. सम्बन्धी कार्य/गृह विभाग की वेबसाईट को अद्यतन कराने सम्बन्धी कार्य। 4. विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा के प्रश्न/आश्वासन/ध्यानाकर्षण सम्बन्धी समस्त कार्य। 5. अन्य समस्त विविध कार्य। 6. राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त समस्त सदर्भ तथा गृह (ग्रुप-6) विभाग से होने वाले समस्त पत्रों का निस्तारण।
10.	श्री जयनारायण (लिपिक ग्रेड-II)	1.अनुभाग का डायरी/डिस्पेच कार्य करेंगे। 2.स्टेशनरी लाने का कार्य।


नोट:-सभी सम्बन्धित गृह (ग्रुप-1) विभाग के कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वह अपनी-अपनी सीट से सम्बन्धित पत्रावलियां सम्भाल लें।

  
(कालूराम)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह (ग्रुप-6) विभाग।
2. सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारिगण गृह (ग्रुप-1) को प्रेषित है।

  
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस